विपक्ष के स्थगन को विस अध्यक्ष ने नकारा

सिंघार और दिनेश ने उज्जैन मामले को लेकर दिया था स्थगन, कार्यवाही आधा घंटे रही स्थगित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 20 जुलाई. विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सोमवार को सदन में उज्जैन में जमीन के मामले को लेकर दिए गए विपक्ष के स्थगन को नकार दिया. यानी अब इस मामले में कम से कम स्थगन पर चर्चा नहीं होगी. अध्यक्ष द्वारा यह व्यवस्था देने से पहले विपक्ष ने स्थगन पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया, जिस कारण सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित भी करना पड़ा.

विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने स्थगन पर व्यवस्था देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एवं दिनेश जैन सदस्य से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं की विषय वस्तु का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया. आपका स्थगन अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि वह तत्कालीन विषय नहीं है. सामान्यत: स्थगन प्रस्ताव प्रदेश में तत्कालीन घटनाओं एवं कानून व्यवस्था के संबंध में उत्पन्न स्थिति पर लाया जाता है और उस पर ही चर्चा कराये जाने की परम्परा रही है. यह जो विषय है उसे सदन में अनेक ऐसे अवसर आयेंगे जिसमें इसे उठाया जा सकता है. पूर्व की परम्पराओं में भी यह देखने में आया है कि यदि किसी विषय पर अन्य माध्यमों से चर्चा हो सकती हो तो उस विषय पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया गया है. इस सत्र में भी आगे विधेयक/विनियोग विधेयक एवं अनुपूरक बजट पर चर्चा के समय इस विषय पर आपको अवसर रहेगा.

अध्यक्ष की इस व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया और विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए, इस बीच अध्यक्ष तोमर ने सदन की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी. इससे पहले शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने स्थगन का मामला उठाते हुए कहा कि उज्जैन की जमीन के मामले में हमने स्थगन दिया है, स्थगन पर चर्चा होना चाहिए. इस बीच विपक्षी सदस्य भी सीटों से खड़े हो गए और नेता प्रतिपक्ष के सुर में सुर मिलाने लगे. सिंघार ने कहा कि सीएम पर आरोप लगे हैं तो कोई व्यवस्था अध्यक्ष दें. इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पाइंट ऑफ आर्डर का मामला उठाते हुए कहा कि यह मामला कोई हाल ही में घटित मामला नहीं है, इसलिए स्थगन के माध्यम से इसे नहीं ला सकते, अन्य कोई माध्यम से इसे ला सकते हैं. इस पर सत्ताधारी दल के वरिष्ठ सदस्य सीतासरन शर्मा ने कहा कि दो सत्रों के बीच का कोई घटनाक्रम हो तो ही स्थगन ला सकते हैं. इस पर विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य बाला बच्चन ने कहा कि ये इस मामले में चर्चा ही नहीं कराना चाहते. इस बीच विपक्षी सदस्य आसंदी के सामने आ गए. इस बीच मंत्री विजयवर्गीय ने इस संबंध में कहे कथन को सदन की कार्यवाही से विलोपित कराने का आग्रह किया. वहीं अध्यक्ष तोमर ने कहा कि मैं आपके स्थगन पर विचार करूंगा, फिर व्यवस्था दूंगा, अभी कार्यवाही चलने दें.लेकिन अध्यक्ष की बातों पर विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ, उनका हंगामा लगातार जारी रहा. जिसके चलते अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित कर दी.

किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन

भोपाल. विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने किसानों की समस्याओं को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में खाद की कमी, सरकारी खरीद में कथित अनियमितताओं, फसल नुकसान के उचित मुआवजे तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं मिलने के मुद्दे उठाए. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने राज्य और केंद्र सरकार का प्रतीकात्मक मुखौटा पहनकर किसानों के प्रति कथित उपेक्षापूर्ण नीतियों का विरोध किया. इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों की समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की गई. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रदेश का किसान गंभीर संकट से जूझ रहा है, लेकिन सरकार समाधान निकालने के बजाय केवल औपचारिकताओं में व्यस्त है. उन्होंने कहा कि बोवनी के मौसम में किसानों को समय पर खाद और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिससे उन्हें लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है.

शक्कर कारखाने के मुद्दे पर कांग्रेस का विधानसभा परिसर में धरना

भोपाल. विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कैलारस शक्कर कारखाने से जुड़े प्रश्नों को बार-बार निरस्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने विधानसभा परिसर स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना शुरू कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना कारण बताए उनके प्रश्न लगातार निरस्त हो रहे हैं. पंकज उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने कैलारस शक्कर कारखाने से संबंधित पांच प्रश्न लगाए थे, जिन्हें दिसंबर 2025, मार्च-अप्रैल 2026 तथा वर्तमान मानसून सत्र में भी स्वीकार नहीं किया गया. उनका कहना है कि उन्होंने कई बार विधानसभा अध्यक्ष और सचिवालय से प्रश्न निरस्त किए जाने का कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया.

मध्यप्रदेश में छह माह में 8 .25 लाख बेरोजगार हुए कम

भोपाल. विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि 30 जून की स्थिति में प्रदेश के रोजगार पोर्टल पर 17,71,132 युवा रोजगार की प्रतीक्षा में जीवित पंजीकृत हैं. सरकार द्वारा दिसंबर 2025 में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में रोजगार की तलाश में 25 .96 लाख युवा पंजीकृत थे. इनमें 3,16,892 दसवीं पास, 9,78,564 बारहवीं पास, 6,17,231 स्नातक, 2,29,116 स्नातकोत्तर तथा 4,53,877 अन्य शिक्षित युवा शामिल थे. जबकि अब सरकार के लिखित जवाब के अनुसार 30 जून 2026 को रोजगार पोर्टल पर केवल 17,71,132 युवा पंजीकृत हैं. इनमें 1,70,718 दसवीं पास, 5,01,474 बारहवीं पास, 7,29,708 स्नातक, 2,32,905 स्नातकोत्तर तथा 1,36,327 अन्य शिक्षित युवा शामिल हैं. लिखित जवाब के मुताबिक सामाजिक वर्ग के अनुसार अनुसूचित जाति के 3,32,046, अनुसूचित जनजाति के 2,98,621, अन्य पिछड़ा वर्ग के 7,12,612 तथा सामान्य वर्ग के 4,27,853 युवा रोजगार की प्रतीक्षा में पंजीकृत हैं. वहीं 8,31,661 महिलाएं तथा 9,39,471 पुरुष रोजगार की उम्मीद में पोर्टल पर दर्ज हैं. प्रताप ग्रेवाल ने सरकार के आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच मात्र छह माह में रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या लगभग 8 .25 लाख कैसे कम हो गई, जबकि इसी अवधि में सरकार के अनुसार निजी क्षेत्र में केवल लगभग 2,700 युवाओं को ही ऑफर लेटर जारी किए गए. सरकार ने अपने जवाब में यह भी बताया कि 30 जून 2017 से जून 2026 तक निजी क्षेत्र में कुल 8,17,744 युवाओं को ऑफर लेटर जारी किए गए हैं, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि ऑफर लेटर जारी होने के बाद यह निरीक्षण या निगरानी नहीं की जाती कि संबंधित युवाओं को वास्तव में रोजगार मिला या नहीं. सरकार के पास यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं है कि कितने युवाओं ने नौकरी ज्वाइन की, कितनों को नौकरी से निकाल दिया गया, कितनों ने स्वयं नौकरी छोड़ दी तथा कितने आज भी कार्यरत हैं. इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि शासकीय नौकरियों का समेकित रिकॉर्ड भी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है.

एक नजर में

सड़क हादसे में दो युवकों की मौत

सीहोर. जिले में दो सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन व्यक्ति घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मंडी थाना क्षेत्र के जमुनिया रोड पर दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत में इमरान (30) तथा रीतेश ठाकुर (20) की मौके पर ही मौत हो गई. दो युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए. वहीं रेलवे स्टेशन के पास अनियंत्रित ट्रक ने विजेंद्र शर्मा (60) को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गए.

नगर परिषद में गुटबाजी और भेदभाव का मामला

भिण्ड. जिले की मिहोना नगर परिषद में गुटबाजी और भेदभाव के आरोपों को लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के तीन पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है. ज्ञापन में कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद में उनके वार्डों की लगातार उपेक्षा की जा रही है. पेयजल, सड़क, सीवर और नाली जैसी मूलभूत समस्याओं के संबंध में लगातार शिकायतें हैं पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है. पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद की बैठकों, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों में उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है. उनके सुझावों की अनदेखी की जाती है तथा विकास योजनाओं में उनके वार्डों को प्राथमिकता नहीं दी जाती.

मध्यप्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी

39 जिलों में बारिश का संकट

भोपाल, 20 जुलाई. मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर कमजोर पड़ गया है. पिछले कई दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश नहीं होने के कारण वर्षा का घाटा बढ़कर 16 प्रतिशत तक पहुंच गया है.

मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा असर पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां सामान्य से 23 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में मजबूत मौसम तंत्र सक्रिय होने की संभावना जताते हुए अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है.

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक औसतन 261.4 मिलीमीटर यानी करीब 10.3 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि तक सामान्य वर्षा का आंकड़ा 311.8 मिलीमीटर होना चाहिए था. लगातार करीब 12 दिनों से तेज और व्यापक बारिश नहीं होने के कारण प्रदेश में वर्षा की कमी लगातार बढ़ती जा रही है. पश्चिमी मध्यप्रदेश में भी सामान्य से करीब 10 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है.

प्रदेश के 39 जिले अभी भी सामान्य से कम बारिश की स्थिति में हैं. इनमें अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया सहित कई जिले शामिल हैं. वहीं पश्चिमी हिस्से के बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, धार, झाबुआ, शिवपुरी, विदिशा समेत अन्य जिलों में भी बारिश की कमी बनी हुई है.

> मौसम विभाग ने दमोह, मंडला और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 47 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है. नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और आगर-मालवा में बादल छाए रहने का अनुमान है.

किसानों पर किया अश्रु गैस का उपयोग

- भोपाल जाने से रोकने के लिए किया लाठीचार्ज
- बरलाई में प्रशासन और किसानों के बीच बवाल

नव भारत न्यूज

इंदौर, 20 जुलाई. आज राष्ट्रीय राजमार्ग के पास किसानों और प्रशासन के बीच बवाल हो गया. इस दौरान पुलिस ने किसानों पर अश्रु गैस और वॉटर केनन का इस्तेमाल किया. बताया जा रहा है कि पुलिस ने भोपाल जाने से रोकने के लिए किसानों पर जमकर लाठियां बरसाई , जिससे कई किसान घायल हो गए . कुछ किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है. करनी सेना के नेतृत्व में किसान चार गुना मुआवजा देने की मांग करने ट्रैक्टर रैली के साथ भोपाल जा रहे थे. पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ किसान मौके पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए.

> पूर्वी रिंग रोड निर्माण में जमीन अधिग्रहण में चार गुना मुआवजा देने की मांग को लेकर किसान भोपाल जा रहे थे. सुबह शिप्रा के पास बरलाई जागीर में करनी सेना के नेतृत्व में सौ से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ किसान एकत्र होकर भोपाल जा रहे थे. इसी बीच पुलिस ने किसानों को बेरिकेटिंग करके रोक लिया. इससे किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया. मौके पर पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच विवाद बढ़ गया. पुलिस ने किसानों पर वॉटर केनन का इस्तेमाल कर तितर बितर करने की कार्रवाई कर दी .

समान नागरिक संहिता के विरोध में भाकपा आज सौंपेगी ज्ञापन

भोपाल, 20 जुलाई. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने मध्य प्रदेश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विरोध करते हुए 21 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है.

भाकपा का कहना है कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे से प्रेरित बताया जा रहा है तथा इसे जनता पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है. पार्टी ने आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव कई विसंगतियों और अंतर्विरोधों से ग्रस्त है तथा इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए. पार्टी नेताओं ने सरकार से मांग की है कि समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले व्यापक जनसंवाद और सभी वर्गों की राय ली जाए. भाकपा ने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते हुए सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग करेगी.

तांत्रिक क्रिया से इलाज का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म

4 पर पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण

धार, 20 जुलाई. जिले के कुक्षी क्षेत्र में बवासीर का तांत्रिक क्रिया से इलाज करने का झांसा देकर एक महिला से कथित दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है.

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुख्य आरोपी तांत्रिक सहित चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार पीड़िता को उसका समधी रेवसिंह तथा सतीपुरा निवासी राकेश मोटरसाइकिल से मनावर बस स्टैंड लेकर पहुंचे. दोनों ने उसे बताया कि ग्राम पिपलिया में धन्नालाल के घर रहने वाला तांत्रिक कैलाश तांत्रिक क्रिया के माध्यम से बवासीर का स्थायी उपचार करता है. इसके बाद वे महिला को धन्नालाल के घर ले गए. आरोप है कि मकान की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में पहले से मौजूद तांत्रिक कैलाश के पास महिला को छोड़कर राकेश, रेवसिंह और धन्नालाल बाहर निकल गए तथा कमरे का दरवाजा बंद कर दिया. पीड़िता के अनुसार कमरे में तांत्रिक ने उसे आंखें बंद कर चुपचाप बैठने के लिए कहा और धमकाया कि यदि उसने विरोध किया तो तांत्रिक क्रिया उल्टी पड़ जाएगी. इसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया.

जीएसटी ट्रिब्यूनल की मांग : हाईकोर्ट सख्त

केंद्र सहित चार पक्षों को नोटिस

> याचिका में केंद्र सरकार को जीएसटी काउंसिल की पूर्व सिफारिश के अनुरूप इंदौर में जीएसटी ट्रिब्यूनल की राज्य पीठ गठित करने के निर्देश देने की मांग की गई है. उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आनंद सोलंकी ने बताया कि मध्यप्रदेश टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई है. उनका कहना है कि जीएसटी काउंसिल की वर्ष 2019 की बैठक में इंदौर में भी राज्य पीठ स्थापित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में जारी अधिसूचना में केवल भोपाल को शामिल किया.

नव भारत न्यूज

इंदौर, 20 जुलाई. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर में जीएसटी अपीलीय अधिकरण (जीएसटी ट्रिब्यूनल) की राज्य पीठ स्थापित किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, जीएसटी काउंसिल, मध्यप्रदेश शासन और राज्य कर आयुक्त को नोटिस जारी किए हैं.

मध्यप्रदेश टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका में 14 सितंबर 2023 की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मध्यप्रदेश में जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ केवल भोपाल में स्थापित की गई है. याचिका में कहा गया है कि 18 दिसंबर 2019 को जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक में इंदौर को राज्य पीठ के स्थान के रूप में तय किया गया था, लेकिन बाद में जारी अधिसूचना में इंदौर को शामिल नहीं किया गया. याचिका में तर्क दिया गया है कि इंदौर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक शहर है तथा यहां पहले से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ और राज्य जीएसटी आयुक्त कार्यालय संचालित हैं. इसके बावजूद राज्य पीठ भोपाल में स्थापित करना मनमाना निर्णय है, जिससे प्रदेश के बड़ी संख्या में करदाताओं और कर पेशेवरों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन भी बताया गया है.

पेज एक का शेष

लोकतंत्र की चौखट पर युवा आक्रोश का स्वत : स्फूर्त शंखनाद

जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा और अंतत: पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया. हालांकि जब सरकार ने देखा कि जनसैलाब को रोकना मुश्किल हो रहा है और सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ताओं के अनशन तथा छात्रों के अडिग रुख से माहौल बिगड़ रहा है, तो बैकचैनल बातचीत शुरू की गई.

सदन में यूसीसी विधेयक

अध्यक्ष ने इस विषय पर चर्चा की शुरुआत कराने से पहले ही मंत्री गौतम टेटवाल का नाम पुकारा और उन्हें विधेयक पेश करने के निर्देश दिए. टेटवाल ने सबसे पहले मप्र समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 किया, उसके बाद बाकी मंत्रियों ने एक - एक कर कुल 13 और विधेयक पेश किए. इन सभी विधेयकों को रविवार को ही जगदीशपुर में हुई कैबिनेट में मंजूरी मिली थी, मंजूरी मिलने के ठीक अगले ही दिन इसे सदन में पेश कर दिया गया. अब विधेयकों पर सदन में चर्चा होगी. सदन में स्थिति सामान्य बनी रही तो ही विधेयकों पर चर्चा होगी, यदि विपक्ष यूसीसी या किसी और विषय पर हंगामें की स्थिति निर्मित करेगा, तो फिर सरकार बिना चर्चा के भी विधेयक को सदन में बहुमत के आधार पर पारित करा लेगी. मंगलवार को ही ही सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा. यूसीसी विधेयक में कुल 104 पेज हैं, जिसमें कुल सात अध्याय है. इन सभी अध्यायों में विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, वसीयती उत्तराधिकार, लिव- इन रिलेशनशिप सहित अन्य जरुरी प्रावधानों को विस्तार से परिभाषित किया गया है.

निर्णय | कोटा स्टेशन पुनर्विकास कार्य की अवधि बढ़ी

प्रभावित रहेंगी भोपाल-जोधपुर सहित कई ट्रेनें

भोपाल, 20 जुलाई. कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चल रहे प्लेटफॉर्म नंबर-4 के पुनर्विकास कार्य के चलते रेल प्रशासन ने ब्लॉक अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है. पहले यह ब्लॉक 18 जुलाई तक निर्धारित था, जिसे अब 6 दिन बढ़ाकर 24 जुलाई तक कर दिया गया है.

इस दौरान प्लेटफॉर्म परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन और सोगरिया स्टेशन से संबंधित परिचालन व्यवस्था पूर्व की तरह जारी रहेगी. रेलवे के अनुसार पुनर्विकास कार्य के चलते कुछ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म और मार्ग में

बदलाव किया गया है. जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस (12181), अजमेर-जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस (12182) और कोटा-बीना मेमू (11603) अब 24 जुलाई तक प्लेटफॉर्म नंबर-4 के स्थान पर प्लेटफॉर्म नंबर-3 से संचालित होंगी. आवश्यकता के अनुसार अन्य ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में भी बदलाव किया जा सकता है.

भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस और जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस का संचालन भी परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा. गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 24 जुलाई तक सोगरिया-कोटा चंबल केबिन-गुड़ला मार्ग से चलेगी और कोटा जंक्शन नहीं पहुंचेगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस भी गुड़ला-कोटा चंबल केबिन-सोगरिया मार्ग से संचालित होगी.

इसके अलावा बीना-कोटा मेमू (61634) अब 24 जुलाई तक सोगरिया स्टेशन पर ही समाप्त होगी. वहीं कोटा-बीना मेमू (61633) कोटा जंक्शन के स्थान पर सोगरिया स्टेशन से दोपहर 3:20 बजे रवाना होगी. रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म, समय और परिचालन संबंधी नवीनतम जानकारी जरूर प्राप्त करें.

8 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव निरस्त

भोपाल. गुरमखेड़ी स्टेशन पर रेल अवसंरचना उन्नयन कार्य के चलते 24 से 30 जुलाई तक ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा. इसके चलते भोपाल मंडल होकर संचालित आठ यात्री ट्रेनों का गुरमखेड़ी स्टेशन पर अस्थायी ठहराव निर्धारित अवधि के लिए निरस्त रहेगा. प्रभावित ट्रेनों में भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस (11272), प्रयागराज छिवकी-इटारसी एक्सप्रेस (11274), कटनी-इटारसी मेमू स्पेशल (61618), कटनी-भुसावल एक्सप्रेस (19014), इटारसी-भोपाल एक्सप्रेस (11271), इटारसी-प्रयागराज छिवकी एक्सप्रेस (11273), इटारसी-कटनी मेमू स्पेशल (61617) तथा भुसावल-कटनी एक्सप्रेस (19013) शामिल हैं.